



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
"वर्कचार्ज वर्ग"



उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

पत्र संख्या:- 318 / 79का0प्र0-अधि0/18

दिनांक:- 08 / जून / 2018

### "कार्यालय ज्ञाप"

स्थानान्तरण अधिनियम 2017(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0-01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्न अमीन को कार्यरहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र०सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री सुन्दर सिंह, अमीन	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला	एक्ट की धारा 17 (1) के (क) के अनुसार।

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है, कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यस्थल आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0|=  
(सत्येन्द्र शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता (मु0)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून/टिहरी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, 9वाँ/6वाँ वृत्त, लो0नि0वि0, देहरादून/उत्तरकाशी।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई/निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया/पुरोला।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, चकराता/पुरोला
6. श्री सुन्दर सिंह, अमीन, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया।

8-6-18  
मुख्य अभियन्ता (मु0)  
08/06/2018



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
"वर्कचार्ज वर्ग"



उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

पत्र संख्या:- 319 / 79का0प्र0-अधि0/18

दिनांक:- 08 / जून / 2018

### "कार्यालय ज्ञाप"

स्थानान्तरण अधिनियम 2017(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0-01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्न अमीन को कार्यरहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र०सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	गोविन्द सिंह अमीन	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा।	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।	एक्ट की धारा 17(1) के (क) के अनुसार।

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है, कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी को कार्यस्थल आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

ह0।:  
(सत्येन्द्र शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता (मु0)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, अल्मोडा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, प्रथम वृत्त, लो0नि0वि0, अल्मोडा।
4. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण / प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा / रानीखेत।
5. मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, अल्मोडा / रानीखेत।
6. श्री गोविन्द सिंह, अमीन, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोडा।

मुख्य अभियन्ता (मु0)  
08/06/2018



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष  
"वर्कचार्ज वर्ग"



उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwdua@rediffmail.com

पत्र संख्या:-320/79का0प्र0-अधि0/18

दिनांक:-08/जून/2018

### "कार्यालय ज्ञाप

स्थानान्तरण अधिनियम 2017(उत्तराखण्ड अधिनियम सं0-01, वर्ष 2018) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में कार्यरत निम्न अमीन को कार्यरहित में स्थानान्तरित करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम सं0-04 में उल्लिखित स्थान पर तैनात किये जाने के आदेश एतद्वारा पारित किये जाते हैं।

क्र०सं०	नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती	स्थानान्तरण किये जाने हेतु अधिनियम की धारा
1	2	3	4	5
1.	श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, अमीन	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली।	अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, बैरीनाग	एक्ट की धारा 17 (1) के (क) के अनुसार।

1. सम्बन्धित कार्मिक को निर्दिष्ट किया जाता है, कि यह आदेश जारी किये जाने की तिथि से एक सप्ताह के अन्तर्गत प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यमुक्त होना सुनिश्चित करेंगे तथा स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्तर्गत नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण किया जाना अनिवार्य होगा।
2. सम्बन्धित अधिकारी, स्थानान्तरित कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।
3. सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी को कार्यस्थल आदेश की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर यथासमय योगदान न करने पर उनका वेतन आहरण पूर्व की तैनाती के स्थान से रोक दिया जाय।
4. स्थानान्तरित किये गये कार्मिक के द्वारा नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध स्थानान्तरण अधिनियम 2017 की धारा 24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

हो:-  
(सत्येन्द्र शर्मा)  
मुख्य अभियन्ता (मु0)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0, हल्द्वानी/पिथौरागढ़।
3. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय /तृतीय वृत्त, लो0नि0वि0, नैनीताल/पिथौरागढ़।
4. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली/बैरीनाग।
5. मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी /कोषाधिकारी, नैनीताल/बैरीनाग।
6. श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, अमीन, अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, भवाली।

2.6.18  
मुख्य अभियन्ता (मु0)  
08/06/2018

